<u>उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।</u>

<u>न्यायालय सं0—10</u>

उपस्थित— माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

<u>निर्देश याचिका संख्या—2647 / 2022</u>

आरक्षी चालक राज कुमार सिंह, पी0एन0ओ0 नं0—960771154, पुत्र श्री मान सिंह, निवासी—दयालपुर, पोस्ट कटरा, जनपद—कानपुर, वर्तमान तैनाती पुलिस स्टेशन—भोगॉव, जनपद—मैनपुरी।

याची।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0 प्र0 सरकार, लोक भवन, लखनऊ।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा।

3. पुलिस महानिरीक्षक, आगरा रेंज, आगरा।

4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।

प्रतिपक्षीगण।

<u>याची के विद्वान् अधिवक्ता—श्री पी0बी0 सिंह।</u>
<u>प्रतिपक्षीगण की ओर से श्री के0पी0 सिंह विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।</u>

<u>निर्णय</u>

<u>(द्वारा माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।</u>

यह निर्देश याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा—4 के अन्तर्गत पुनरीक्षण आदेश दिनांक—27.07.2022 (संलग्नक संख्या—1 व 2), अपीलीय आदेश दिनांक 18.02.2022 (संलग्नक संख्या—3 व 4) तथा दण्डादेश दिनांकित 21.05.2021 (संलग्नक संख्या—5 एवं 6) जिनके द्वारा याची को परिनिन्दा प्रविष्टि एवं याची की वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोकी गयी है को अपास्त करने तथा सेवा संबंधी समस्त पारिणामिक सेवा लाभ प्रदान किये जाने हेतु योजित की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि याची की नियुक्ति वर्ष 1996 में पी0ए0सी0 में आरक्षी के पद पर हुई थी तथा वर्ष 2007 में उसकी पदोन्नति चालक के पद पर हुई। याची जब वर्ष 2020 में आरक्षी चालक के पद पर थाना एत्माद्दौला,

जनपद आगरा में नियुक्त था तब दिनांक 05.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक एत्माद्दौला द्वारा मय पुलिस बल के दबिश देकर नकली ऑयल बनाने के उपकरण तथा नकदी सहित अभियुक्तगण इमरान, अफजल सिद्दीकी , आमिर, बॉबी आदि को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0–693/2020 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत कराया गा। याची द्वारा अवैध ऑयल के कारोबार को बतौर आरक्षी चालक के रूप में रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये और न ही इसकी सूचना किसी उच्चाधिकारी को दी गयी। याची द्वारा अपने कर्तव्यपालन में बरती गयी घोर लापरवाही, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता के संबंध में याची के विरूद्व प्रारम्भिक जॉच क्षेत्राधिकारी कोतवाली, जनपद–आगरा से करायी गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने पर उसे दो कारण बताओ नोटिस दिनांक–18.12.2020 संलग्नक–8 एवं 9 निर्गत की गयी जिसमें प्रथम नोटिस उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) निमयावली 1991 के नियम–14(2) के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित करने एवं दूसरी कारण बताओ नोटिस उसकी वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोके जाने हेतु निर्गत् की गयी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची द्वारा दोनों कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त करके अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 08.03.2021 एवं 21.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त स्पष्टीकरणों पर बिना कोई विचार किये उसे दो दण्डादेशों द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि एवं वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। याची द्वारा उपरोक्त दण्डादेशों के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने याची द्वारा प्रस्तुत/प्रत्यावेदन पर बिना विचार किये उसकी अपील/प्रत्यावेदन को आदेश दिनांक 18.02.2022 द्वारा निरस्त किया गया जिसके उपरांत याची ने पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये परन्तु पुनरीक्षण अधिकारी ने भी याची द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्रों में उठाये गये तथ्यों पर बिना विचार किये उसके पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्रों को आदेश दिनांक 27.07.2022 द्वारा निरस्त कर दिया। याची की ओर से उपरोक्त आदेशों को निरस्त करने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

3. विपक्षीगण की ओर से लिखित कथन दाखिल करते हुए कहा गया है कि याची जब वर्ष 2020 में आरक्षी चालक के पद पर थाना एत्माद्दौला, जनपद आगरा में नियुक्त था तब दिनांक 05.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक एत्माद्दौला द्वारा मय पुलिस बल के दबिश देकर नकली ऑयल बनाने के उपकरण तथा नकदी सहित अभियुक्तगण इमरान, अफजल सिद्दीकी , आमिर,

बॉबी आदि को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0–693/2020 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत कराया गा। याची द्वारा अवैध ऑयल के कारोबार को बतौर आरक्षी चालक के रूप में रोकने के कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये और न ही इसकी सूचना किसी उच्चाधिकारी को दी गयी। इसके अतिरिक्त जब प्रभारी निरीक्षक द्वारा उक्त घटना स्थल पर दबिश दी गयी तो यह दबिश के दौरान मौके पर नहीं पहुॅचे। याची द्वारा अपने कर्तव्यपालन में बरती गयी घोर लापरवाही, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता के संबंध में याची के विरूद्व प्रारम्भिक जॉच क्षेत्राधिकारी कोतवाली, जनपद–आगरा से करायी गयी जिसमें याची को दोषी पाते हुए जॉच आख्या दिनांक 20.10.2020 प्रस्तुत की गयी। जॉच के दौरान याची को बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। याची को दो कारण बताओ नोटिस दिनांक–18.12.2020 मय जॉच आख्या संलग्नक–8 एवं 9 निर्गत की गयी जिसमें प्रथम नोटिस उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) निमयावली 1991 के नियम–14(2) के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित करने एवं दूसरी कारण बताओ नोटिस उसकी वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोके जाने हेतु निर्गत् की गयी और उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची द्वारा दोनों कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त करके अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 08.03.2021 एवं 21.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए दो दण्डादेशों द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि एवं वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने हेतु पारित किये गये है जो सकारण और मुखरित आदेश हैं जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याची द्वारा उपरोक्त दण्डादेशों के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयीं जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विचार करते हुए उसमें कोई बल न पाये जाने पर उसकी अपील/प्रत्यावेदन को आदेश दिनांक 18.02.2022 द्वारा निरस्त किया गया। तत्पश्चात् याची द्वारा पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर पुनरीक्षण अधिकारी ने भी याची द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में उठाये गये समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए उसमें कोई बल न पाये जाने पर उन्हें आदेश दिनांक 27.07.2022 द्वारा निरस्त कर दिया। याची विवादित आदेशों के विरूद्व कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। याची की याचिका तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

4. याची की ओर से विपक्षीगण द्वारा दाखिल लिखित कथन के विरूद्व प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करते हुए उसका विरोध किया गया है तथा याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. याची पर आरोप है कि जब वह वर्ष 2020 में आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त था तब मु0अ0सं0–693/2020 पंजीकृत किया गया जिसमें उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने अवैध ऑयल के कारोबार को बतौर आरक्षी चालक के रूप में रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया और न ही उसने सूचना वरिष्ठ अधिकारियो ंको दी। यह उसके कर्तव्य में शिथिलता मानते हुए उसके विरूद्व प्रारम्भिक जॉच कराई गई और जॉच में दोषी पाये जाने पर उसे दो कारण बताओ नोटिस परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड एवं वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोके जाने हेतु निर्गत की गयीं। याची ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये परन्तु दण्डाधिकारी ने याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये तथ्यों पर बिना विचार उसे उपरोक्त दण्डों से दण्डित किया गया।

7. याची ने अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह थाना एत्माददौला, जिला आगरा में बतौर आरक्षी चालक दिनांक 22.05.2017 से 21.08. 2020 तक तैनात था और प्रभारी निरीक्षक की गाड़ी चलाता था और थाना परिसर में बनी बैरक में ही रहता था उसकी नियुक्ति अवधि में कोई अवैध तेल कारोबार की जानकारी उसे नही थी। दिनांक 22.08.2020 से वह थाना डौकी जनपद आगरा में बतौर आरक्षी चालक तैनात था जबकि मु0अ0सं0–693/2020 दिनांक 05.09.2020 को पंजीकृत किया गया है उस समय वह थाना एत्माददौला पर नियुक्त नहीं था। जॉच साक्ष्य में भी साक्षी ने यह बयान दिया है। यहॉ यह भी अवलोकनीय है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि याची थाना प्रभारी का चालक था उसकी डियूटी वाहन परिचालन की थी। आरक्षी चालक के रूप में उसकी इस प्रकार की कोई डियूटी नहीं थी जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया है और मु0अ0सं0–693/2020 की घटना के समय वह एत्माद्दौला थाने पर नियुक्ति भी नहीं था।

8. इस प्रकार यहॉ पर दो तथ्य बहुत स्पष्ट है कि याची थाना प्रभारी का चालक था और उन्हीं के साथ रहकर वाहन का परिचालन करता था तथा घटना के समय याची संबंधित थाने में नियुक्त भी नहीं था, जब याची घटना के समय वहॉ नियुक्त ही नहीं था तो दोषी किस आधार पर माना गया है।

9. इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि याची द्वारा जॉच में दिये गये बयान पर जॉच अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है और दण्डाधिकारी ने भी याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उठाये गये तथ्यों पर बिना विचार किये दण्डादेश में मात्र यह उल्लेख किया है कि **"मेरे द्वारा इनके स्पष्टीकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का**

सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया तो पाया गया इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर कोई विचार किया जा सके। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये गये है जो अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।" इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य 2006 एस0सी0सी0 (एल0 एण्ड एस0) 679** में दी गयी विधि व्यवस्था निम्नवत् हैः–

> "Without going into other issued raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment, was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show cause notice has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside."

10 इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची के विरूद्व पारित दण्डादेश दिनांक 21.05.2021 (संलग्नक–6) सकारण और मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, अतः अपास्त किये जाने योग्य है।

11. याची के विरूद्व पारित दूसरा दण्डादेश जिसके द्वारा याची की वर्ष 2020 की सत्यनिष्ठा रोकी गयी है। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम–4 में उल्लिखित दीर्घ शास्तियां एवं लघु शास्तियों का अवलोकन किया गया जिसमें सत्यनिष्ठा रोके जाने संबंधी कोई दण्ड उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो दण्ड नियमावली में उल्लिखित हीं नहीं है तो वह दण्ड याची को नहीं दिया जा सकता है। अतः याची के विरूद्व सत्यनिष्ठा रोके जाने संबंधी दण्डादेश दिनांकित 21.05. 2021 (संलग्नक–5) भी अपास्त किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त कारणों से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04. 2022 (संलग्नक–4 व 3) तथा पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.

07.2022 (संलग्नक–1 व 2) जो दण्डादेश के अनुवर्ती आदेश हैं वह भी विधिक दृष्टिकोण से निरस्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं। तद्नुसार याचिका स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। दण्डादेश दिनांकित 21.05.2021 (संलग्नक–6 व 5), अपीलीय आदेश दिनांक 18.04.2022 (संलग्नक–4 व 3) तथा पुनरीक्षण आदेश दिनांक 27.07.2022 (संलग्नक–1 व 2) अपास्त किये जाते हैं। याची सेवा संबंधी लाभ जो इन आदेशों के कारण रोके गये हो उन्हें पाने का अधिकारी है। विपक्षीगण इस निर्णय का अनुपालन निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्रापत होने के 03 माह के अन्दर करें।

उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

<u>दिनांकः 21 अगस्त, 2026</u>
एम0ए0/पी0एस0